झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

शुद्धि पत्र

का0आ0सं0–ITSec2/CCTV-Courts-1/2020/IT - 281 रॉंची, दिनांक :- 21.02.2022

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(s).(Criminal) संख्या–99/2015 में दि0 05.04.2018 एवं दिनांक 13.02.18 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य के 20 जिलों के कुल 24 (चौबीस) अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु कुल रु0 52,43,32,000/- व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–1434 दि0 28.10.21 द्वारा कुल रु0 25,43,32,000/– व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके पश्चात् विभागीय आवंटनादेश सं0–1443 दि0 28.10.21 द्वारा विपत्र कोड– 45S22030079621000781से कुल तेरह (13) करोड़ राशि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान दी गयी।

इसके उपरांत राशि को जैप–आईटी के पी0एल0 खाते में हस्तांतरित करने हेतु विपत्र सं0–106/CCTV/21-22 द्वारा विपत्र तैयार किया गया परन्तु राशि को हस्तांतरित करने हेतु आवश्यक DDO Code-PRJSCT014 के स्थान पर भूलवश PRJSCT001 का चुनाव किया गया, चुना गया DDO Code PRJSCT001 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग का है जिस कारण राशि का हस्तांतरण नहीं किया जा सका। राशि के हस्तांतरण हेतु आवश्यक सुधार कर पुनः विपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(सुनील कुमार पोद्दार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : ITSec2/CCTV-Courts-1/2020/IT - 281 रांची, दिनांक : 21.02.2022

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, धुर्वा/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विपत्र शाखा/बजट शाखा/श्री देशबन्धु, परामर्शी, SeMT को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

SL

JTC Form-4 3.11.21

Bill - 106/21-22

[See Rule 45]

(Obverse)

BT-2

Challan No.: .... **Treasury.:** **Project Building**

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	PRJ
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	PRJSCT001
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000207
Sub Head	00-		

Challan of cash into the State Bank of India at ....

To be filled by the Remitter				To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered		Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	....	SUNIL KUMAR PODDAR (PRJSCT001) UNDER SECRETARY DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY	Installation CCTV in 20 Dist. of JH .	130000000	84480012021000781 81-Information, Communication, Telecom Services	
Sign						Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in.
*(in words)Rupees Thirteen Crore/- Only 45522030079621000781				*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
झारखण्ड सरकार

Received Payment .... **Date** 3.11.21

Treasurer 3.11.21 **Accountant** **Treasury Officer**

Agent or Manager

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

BT No- 02
03/11/2021

JTC FORM-25

[See Rule 183(a) & 295]

Fully Voucher Contingent Bill

Control No. 10063

Bill Date : 02/11/2021

For use at Treasury

Advice No.		Date	....
TV No.	....	Date	....

Demand No	:	45	**Treasury Code**	:	PRJ
Major Head	:	2203-Technical Education	**DDO Code**	:	PRJSCT001
Sub Major Head	:	00-Technical Education	**Scheme Type**	:	S
Minor Head	:	796-Tribal Area Sub-Plan	**Payment Mode**	:	TRANSFER
Sub head	:	00-			
Bill Code	:	S22030079621000781(Information, Communication, Telecom Services)			

FULLY VOUCHED CONTINGENT BILL NO 106/CCTV/21-22
OFFICE OF DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY **PERIOD OF** NOVEMBER 2021

Number of sub voucher	**Description of charge and number and date of authority for all charges requiring special sanction.**	**Amount Details**
Count	Description	**Gross Amount** : 130,000,000.00
Signature of Billing Incharge /Divisional Accountant (if Applicable)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग झारखण्ड सरकार **Signature of DDO** SUNIL KUMAR SARKAR UNDER SECRETARY	**Total Deduction** : 0.00 **Net Amount** : 130,000,000.00
Rs.(in words): Thirteen Crore Only		

Printed On-02/11/2021 05:02:02 PM

Please Turn Over

(Please print this page at the back of first page)

Payment Under Rs=130000001=00 (Thirteen Crore One)

Certificates:

1. I certify that the expenditure charged in this bill could not, with due regard to the interest of the public service, be avoided .I certify that, to the best of my knowledge and belief, the payments entered in this bill have been duly made to the parties entitled to receive them and will be paid on receipt of the money from the treasury. Vouchers for all sums above Rs.1000 in amount are attached to this bill, save those noted below, which will be forwarded as soon as the amounts have been paid .I have, as far as possible, obtained vouchers for other sums, and am responsible that they have been so defaced or mutilated that they cannot be used again.

निकासी एवं व्ययन प्रदाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
झारखण्ड सरकार

2. Certified that all the articles detailed in the vouchers attached to the bill and in those retained in my office have been duly receive in good order and accounted for in the stock register. I also certify that the quantities are correct, the quantity is good and according to specification and the rates paid are not in excess of the accepted/market rates and that suitable notes of payment have been recorded against the indent and invoices concerned to prevent double payment.
3. Certified that all inferior servants whose pay has been charged in this bill were actually entertained in Government service during the period concerned and their numbers and rates of pay have been sanctioned by competent authorities.
4. Certified that expenditure on conveyance hire charged in this bill was actually incurred, was unavoidable and is within the scheduled scale of charges for the conveyance used, and that the Government servant concerned is not entitled to draw travelling allowance under the ordinary rules for the journey and he is not granted any compensatory leave and does not and will not otherwise receive any special remuneration for the performance of the duty which necessitated the journey.
5. Certified that the monetary or quantitative limits prescribed by the Government in respect of items of contingencies included in the bill have not been exceeded.

Allotments Details As on [02-11-2021 04:24:24 PM]	
Total Allotment:	133,200,000.00
Surrender Amount:	0.00
Un-Verified Allotment:	0.00
Expenditure by treasury (Excluding this Bill):	0.00
Amount of This Bill:	130,000,000.00
Total Pending Expenditure (Including this Bill):	0.00
Balance of Allotment:	133,200,000.00

Pay Rupees : 130000000/- (in words) Thirteen Crore Only

BDO Signature

निकासी एवं व्ययन प्रदाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
झारखण्ड सरकार

Examined

Dated the............20........... **Accountant** **Treasury Officer**

*** This bill is not valid for 8782-Remittance Cheque.**

<u>For use in Accountant-General's Office</u>

Admitted Rs ....

Objected to Rs ....

Reason of objection ....

Auditor **Accounts Officer** **Sr. Accounts Officer**

DDO BOOK TRANSFER SCHEDULE

Control No : 10063 **Bill No :** 106/CCTV/21-22 **Bill Date :** 02/11/2021

Book Transfer From

DDO Code	PRJSCT001
DDO Name	SUNIL KUMAR PODDAR
DDO Designation	UNDER SECRETARY
Plan Type	S
Bill Head	45S22030079621000781

Amount Transfer To

DDO Code	PRJSCT001
DDO Name	SUNIL KUMAR PODDAR
DDO Designation	UNDER SECRETARY
Plan Type	S
Bill Head	99S84480012021000781
BILL No.	106/CCTV/21-22
Remarks	Installation CCTV in 20 Dist. of JH
Amount	130000000

DDO Singnature
SUNIL KUMAR PODDAR
UNDER SECRETARY

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
झारखण्ड सरकार

(106)

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

पत्रांक : ITSec2/CCTV-Courts-1/2020/IT रांची, दिनांक :

प्रेषक,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड।

विषय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(s).(Criminal) संख्या–99/2015 में दि0 05.04.2018 एवं दिनांक 13.02.18 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य के 20 जिलों के कुल 24 (चौबीस) अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 25,43,32,000/–(पचीस करोड़ तैंतालीस लाख बत्तीस हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0–1434 दिनांक–28.10.2021 के क्रम में राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(s).(Criminal) संख्या–99/2015 में दि0 05.04.2018 एवं दि0 13.02.18 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य के 20 जिलों के कुल 24 (चौबीस) अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में 25,43,32,000/–(पचीस करोड़ तैंतालीस लाख बत्तीस हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन निम्न रूप से होगा :–

i. रुपये 13,00,00,000/– का विकलन मुख्यशीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा अन्तर्गत लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–21–ई–गवर्नेंस सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–81–सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ, विपत्र कोड–45S22030079621000781 में उपबंधित राशि से किया जायेगा तथा

ii. शेष राशि 12,43,32,000/– का विकलन मुख्यशीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा अन्तर्गत लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–21–ई–गवर्नेंस सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–81–सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ, विपत्र कोड–45S22030000121000781 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. परियोजना का क्रियान्वयन जैप–आई0टी0 द्वारा किया जाएगा तथा आंकलन के अनुरूप राशि का व्यय किया जाएगा।

4. राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, रांची से की जायेगी तथा राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग होंगे। राशि की निकासी कर जैप–आई0टी0 के पी0एल0 खाता में जमा कर दी जाएगी। साथ ही जैप–आई0टी0 राशि के व्यय करने के पूर्व प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 में दिए गए दिशा–निर्देश तथा अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार, झारखण्ड का होगा।

CCTV Sanlekh/SL

7. राशि का अपवर्तन दूसरे मद में कदापि नहीं किया जाय तथा राशि का व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप एवं प्रक्रियात्मक हो अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार होंगे।

8. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप–आई0टी0 स्वीकृत राशि का ब्यौरा/उपयोगिता प्रमाण पत्र सीधे महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/–
(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : रांची, दिनांक :

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 1443 रांची, दिनांक : 28.10.2024

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, अंकेक्षण/वित्त विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप–आई0टी0, रांची/बजट शाखा/विपत्र शाखा (मूल दो प्रतियों में)/श्री देशबंधु मिश्रा, परामर्शी, SeMT को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
28.10.24

CCTV Sanlekh/SL

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Information Technology and e-Governance Department

चालू वितीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - CCTV-Court-1/20/1443 दिनांक - 28-Oct-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 45 22030000121000781 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 001 - निदेशन और प्रशासन 21 - ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का कंप्यूटरीकरण 00-NA 07 - अन्य व्यय **State Scheme** State Scheme : EGOVERNANCE COMPUTERIZATION OF GOVT. DEPTTS(0382) Centeral Scheme : NA	55185	PRJSCT001 SUNIL KUMAR PODDAR UNDER SECRETARY 81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	124,332,000.00 रुपये बारह करोड तीरयालीस लाख बत्तीस हजार
2	S 45 22030079621000781 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 21 - ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण 00-NA 07 - अन्य व्यय **State Scheme** State Scheme : EGOVERNANCE COMPUTERIZATION OF GOVT. DEPTTS(0382) Centeral Scheme : NA	55182	PRJSCT001 SUNIL KUMAR PODDAR UNDER SECRETARY 81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	130,000,000.00 रुपये तेरह करोड

योग: रुपये पच्चीस करोड तीरयालीस लाख बत्तीस हजार 254,332,000.00

क्रमिक योग:

(KRIPA NAND JHA)
SECRETARY
28.10.21

 106.233.39.220 Run Date: 28/10/2021

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 45 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई.गवर्नेंस विभाग

मुख्य शीर्ष-2203 - तकनीकी शिक्षा & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 21 - ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण

मुख्य शीर्ष-2203 - तकनीकी शिक्षा & 001 - निदेशन और प्रशासन & 21 - ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का कंप्यूटरीकरण

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	45S22030000121000781	45S22030079621000781	Total
					सूचनाए संचार एवं संचरण सेवाएँ	सूचनाए संचार एवं संचरण सेवाएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Project Building	PRJSCT001	Sunil Kumar Poddar	Under Secretary	₹12,43,32,000.00 (55185)	₹13,00,00,000.00 (55182)	₹25,43,32,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹25,43,32,000.00 (पच्चीस करोड तीरयालीस लाख बत्तीस हजार **) रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(KRIPA NAND JHA)
SECRETARY

28/1/21

वित्त विभाग से
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

103

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

पत्रांक : ITSec2/CCTV-Courts-1/2020/IT   रांची, दिनांक :

प्रेषक,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रांची.

द्वारा : वित्त विभाग

विषय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(s).(Criminal) संख्या–99/2015 में दि0 05.04.2018 एवं दि0 13.02.18 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य के 20 जिलों के कुल 24 (चौबीस) अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु कुल रु0 52,43,32,000/- व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 25,43,32,000/–(पचीस करोड़ तैंतालीस लाख बत्तीस हजार रुपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition(s) (Criminal) No.- 99/2015 (Pradyuman Bisht Vs Union of India & Others) में दि0 13.02.18 एवं 05.04.18 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV Camera अधिष्ठापित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। पूर्व में उक्त वाद में पारित आदेश के आलोक में राँची एवं धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में CCTV Camera अधिष्ठापित करने के संदर्भ में विभागीय क्रियान्वयन एजेंसी जैप–आईटी, रांची द्वारा प्राक्कलित व्यय (रु0 5,13,37,876/– विभागीय आवंटनादेश सं0–2597 दि0 24.08.17) के प्रस्ताव के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही, CPC(I/C) e-Committee, High Court of Jharkhand के पत्रांक–JHC/CPC/165/2019 दि0 20.07.19 के आलोक में सिविल कोर्ट, रांची परिसर में अतिरिक्त 65 CCTV अधिष्ठापित करने हेतु रु0 28,81,606/– का विभागीय आवंटनादेश सं0–42 दि0 10.01.2020 निर्गत किया गया है। इसी क्रम में CPC(I/C) e-Committee, High Court of Jharkhand के पत्रांक–JHC/ CPC/231/2019 दि0 13.11.19 के आलोक में सिविल कोर्ट, रांची परिसर में नये 40 कोर्ट भवन में CCTV अधिष्ठापित करने हेतु कुल रु0 3,51,21,300/– की राशि भी विभागीय आवंटनादेश सं0–57 दि0 16.01.2020 के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है।

द्वितीय चरण में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्य के 02 (दो) अन्य जिला न्यायालयों यथाः डालटेनगंज एवं चाईबासा में भी CCTV Camera अधिष्ठापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि (रु0 4,83,80,000/–) जैप–आईटी को विभागीय आवंटनादेश सं0–349 दि0 04.03.2020 के माध्यम से आवंटित की गयी एवं इनके अधिष्ठापन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

2. पुनः राज्य के शेष 20(बीस) जिलों के कुल 24(चौबीस) अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने के निमित्त कुल रु0 58,00,00,000/- (अंठावन करोड़) व्यय के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विभागीय संलेख ज्ञापांक–1533 दि0 23.12.20 के माध्यम से राज्य योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया। इस क्रम में विकास आयुक्त, झारखंड की अध्यक्षता में गठित योजना प्राधिकृत समिति की दि0 28.01.21 को सम्पन्न बैठक में निम्न शर्त्तों के साथ प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी :–

i. यह समीक्षा कर ली जाय कि Court Rooms में अधिष्ठापन के लिए प्रावधानित CCTV कैमरा Audio Enabled है या नहीं।
ii. 24 न्यायालयों के लिए CCTV कैमरों की संख्या (औसतन 159 CCTV कैमरा प्रति न्यायालय) अत्यधिक प्रतीत होती है।

चूंकि प्रत्येक कैमरा Closed unit है, अतः अत्यधिक CCTV की संख्या के कारण Cabling आदि में भी वृद्धि हो रही है, उदाहरण स्वरूप चतरा जिला व्यवहार न्यायालय में Cabling एवं conduit का उपयोग निम्नवत् प्रस्तावित है :–

1	Cat 6 Cable	16200 mtr
2	6 Core SM Armoured Fiber Cable	3000 mtr
3	12 Core SM Armoured Fiber Cable	2000 mtr
4	2.5sq mm Power Cable	15000 mtr
5	1.5 inch ISI mark Conduit for Cat 6 and power Cable	16200 mtr
6	Cat 6 Cabling with Conduit per meter	16200 mtr
7	Power Cabling with Conduit per meter	15000 mtr
	Total	**83600 mtr**

स्पष्ट है कि Optic Fibre 5km, Power Cable 15 km तथा Cat 6 Cable 16.2 km एक न्यायालय परिसर में प्रस्तावित किया गया है।

प्रशासी विभाग उक्त बिन्दु पर संबंधित जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की देख–रेख में जिलास्तरीय टीम बनाकर गहन समीक्षा एवं सम्यक् जाँच करा ली जाय तथा इसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाय।

iii. इसी प्रकार Channel NVR/Server में निम्नवत् प्रावधान है, जो कि चतरा जिला के लिए प्रस्तावित योजना का लगभग 42 प्रतिशत है :–

1	64 Channel NVR/Server with prelodaded Video Management System and Intelligent Video Analytics	111.86 lakh
2	32 Channel NVR/Server with preloaded Video Management System and Intelligent Video Analytics	9.67 lakh

चूंकि Server cost का भार अत्यधिक है, इसलिए 64 Channel एवं 32 Channel NVR/Server में Video analytic system की आवश्यकता एवं उपयोगिता का मूल्यांकन कर लिया जाय।

iv. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में न्यायालयों में अधिष्ठापित किये जाने वाले CCTV कैमरों के Technical Specification, Price range एवं Sources of supply की भी समीक्षा कर ली जाय।

3. उपर्युक्त राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा अंकित शर्त्तों के आलोक में कंडिकावार अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

i. क्रियान्वयन एजेंसी जैप–आईटी द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी कि Court Rooms में अधिष्ठापन के लिए प्रावधानित CCTV कैमरा माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के निर्देश के आलोक में Audio Enabled प्रस्तावित नहीं थे।

ii. राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा अंकित शर्त के आलोक में विभाग द्वारा सभी संबंधित जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की देख–रेख में जिला स्तरीय टीम बनाकर गहन समीक्षा एवं सम्यक् जाँचोपरांत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से परामर्श लेते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधित जिलों को निदेश दिया गया। इस क्रम में सभी जिलों से कुल 3826 CCTV कैमरों के स्थान पर कुल 3293 CCTV कैमरों की अनुशंसा प्राप्त हुई। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–832 दि0 28.06.21 द्वारा जैप–आईटी, रांची को आवश्यक संशोधनोपरांत एक नई विस्तृत योजना प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

iii. NVR/Server की आवश्यकता एवं उपयोगिता के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–267 दि0 09.02.21 के माध्यम से प्रगत संगणन विकास केन्द्र (C-DAC), कोलकाता से मंतव्य प्राप्त किया गया है। विदित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार CCTV footage का 90 दिनों का data storage रखना है इसलिए प्रस्तावित NVR/Server का समुचित मूल्यांकन करने के उपरांत ही DPR तैयार किया गया।

iv. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में न्यायालयों में अधिष्ठापित किये जाने वाले CCTV कैमरों के Technical Specification वर्ष 2018 में Dept. of Justice, भारत सरकार के वेबसाईट पर अपलोड किये गये थे, जिसके अनुसार ही Specifications निर्धारित किये गये थे। इन कैमरों की दरें जैप–आईटी

के अंतर्गत वर्ष 2017 में किये गये Rate Contract से ली गयी। साथ ही, इनके Sources of supply निविदा के माध्यम से चयनित संवेदक होगा।

4. वर्तमान में सभी जिलों से कुल 3826 CCTV कैमरों के स्थान पर कुल 3293 CCTV कैमरों की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–832 दि0 28.06.21 के माध्यम से जैप–आईटी, रांची को दिये गये निदेश के आलोक में जैप–आईटी के पत्रांक–1471 दि0 12.08.21 द्वारा आवश्यक संशोधनोपरांत उक्त सभी 24 न्यायालयों में कुल 3293 CCTV कैमरा अधिष्ठापन से संबंधित कुल रु0 52,43,32,384/– का संशोधित वित्तीय प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

i. Tentative Quantity of CCTV Camera in 20 District and 04 Subdivisional Court Premises i.e. Total 24 Courts of the State

S.N.	District	S.N.	Courts	No. of CCTV
1	Bokaro	1	Dist. Court Bokaro	191
		2	Sub-ordinate court, Tenughat	136
2	East Singhbhum	3	Dist. Court Jamshedpur	230
		4	Sub-ordinate court, Ghatshila	103
3	Chatra	5	Dist. Court Chatra	96
4	Deoghar	6	Dist. Court Deoghar	182
		7	Sub-ordinate court, Madhupur	124
5	Dumka	8	Dist. Court Dumka	92
6	Garhwa	9	Dist. Court Garhwa	183
7	Giridih	10	Dist. Court Giridih	187
8	Godda	11	Dist. Court Godda	97
9	Gumla	12	Dist. Court Gumla	107
10	Jamtara	13	Dist. Court Jamtara	142
11	Koderma	14	Dist. Court Koderma	175
12	Latehar	15	Dist. Court Latehar	112
13	Pakur	16	Dist. Court Pakur	136
14	Simdega	17	Dist. Court Simdega	116
15	Hazaribagh	18	Dist. Court Hazaribagh	172
16	Lohardaga	19	Dist. Court Lohardaga	123
17	Khunti	20	Dist. Court Khunti	30
18	Ramgarh	21	Dist. Court Ramgarh	244
19	Saraikela	22	Dist. Court Saraikela	145
20	Sahebganj	23	Dist. Court Sahibganj	112
		24	Sub-ordinate court, Rajmahal	58
			Total	**3293**

ii. Estimated Cost (Item wise) for installation of CCTV Cameras in 20 District and 4 Sub Divisional Court Premises i.e. total 24 Courts in 20 Districts

A. CAPEX

S.N.	Items/Description	Unit	Qty.	Unit Rate in INR (Inclusive of taxes)	Total Rate of INR (Inclusive of Taxes)
1	IR IP Dome Network Camera (5 Mega Pixel)	No	1947	11115.6	21642073.2
2	IR IP Bullet Network Camera (3 Mega Pixel)	No	1236	9263	11449068
3	IR IP PTZ Speed Dome Network Camera (2 Mega Pixel)	No	110	39943	4393730
4	64 Channel NVR/Server with preloaded Video Management System and Intelligent Video Analytics	No	108	1398300	151016400
5	32 Channel NVR/Server with preloaded Video Management System and Intelligent Video Analytics	No	26	967600	25157600
6	16 Channel NVR/Server with preloaded Video Mangement System and Intelligent Video Analytics	No	1	708000	708000
7	55" Full HD LED Display Unit	No	135	184320	24883200
8	24 Port POE Switch (Gigabyte) with 2 SFP port	No	310	49914	15473340
9	24 Port SFP Manage Switch with 2 nos UTP port	No	16	52156	834496

10	IP 65 Rated 6U Rack	No	310	10148	3145880
11	42U Rack	No	24	61006	1464144
12	24 U Rack	No	25	36580	914500
13	15 KVA online UPS minimum 1 hours back up	No	3	560500	1681500
14	10 KVA online UPS minimum 1 hours back up	No	24	448400	10761600
15	Media Converter	No	622	8024	4990928
16	Cat 6 cable	Mtr	250945	31.86	7995107.7
17	6 Core SM Armoured Fiber Cable	No	49211	60.18	2961517.98
18	12 Core SM Armoured Fiber Cable	No	25667	77.88	1998945.96
19	12 U Fiber LIU	No	315	16549.5	5213092.5
20	24U Fiber LIU	No	29	20650	598850
21	Fiber Transceiver	No	396	4366	1728936
22	Fiber Patch Cord SC-LC	No	1369	1711	2342359
23	HDPE Pipe 2 inches	Mtr	67215	82.6	5551959
24	2.5 sq mm Power Cable	Mtr	141990	63.72	9047602.8
25	1.5 inch ISI Mark Conduit for Cat 6 and power cable	Mtr	227115	59	13399785
26	Installation Charges per CCTV Camera	No	3293	4720	15542960
27	Underground OFC laying per meter in HDPE Pipe at 3 feet depth	Mtr	70911	354	25102494
28	Overhead OFC laying per meter	Mtr	4610	10.62	48958.2
29	Cat 6 cabling with conduit per meter	Mtr	250945	23.6	5922302
30	Joystick	No	19	15163	288097
31	Switch installation with Rack	No	326	944	307744
32	Power cabling with conduit per meter	Mtr	141990	25.96	3686060.4
33	Earthing	Lot	25	50150	1253750
	External Microphone @ Rs 5000/Unit for 1052 Camera in Court Rooms Only				5260000
	Memory Card @ 1500/Unit for 3183 Cameras (Bullet & Dome Only)				4774500
	Sub Total				**391541480.7**

B. OPEX

S.N.	District	Unit Rate incl. of taxes	Qty.	Months	Total Rate incl. of taxes
1	Operation of CCTV system for 5 years (considering 02 manpower at each Location)	36777.06	48	60	**105917932.8**

5. इस प्रकार झारखण्ड राज्य के 20 जिलों के कुल 24 अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 3293 CCTV कैमरों के अधिष्ठापन के निमित्त कुल 05 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय प्रस्ताव का सारांश निम्नवत् है :–

Total Estimated Cost for installation of CCTV Cameras in 20 District and 4 Sub Divisional Court Premises i.e. total 24 Courts in 20 Districts

S.N.	Items	Total Cost (incl of taxes)
1	Capex	391541480.7
2	Opex	105917932.8
3	**Sub Total**	**497459413.5**
4	JAP-IT AME @ 7% on First Ten Crore	7000000
5	JAP-IT AME @ 5% on Rest Amount	19872970.68
6	**JAP-IT Total AME**	**26872970.68**
	GRAND TOTAL	**524332384.2**
Total Estimated Project Cost Rs 52,43,32,000 (Rounded)		

6. परियोजना का क्रियान्वयन दि0 31.03.2022 तक नियमानुसार निविदा की कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन कर JAP-IT द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा।

7. अतः उपरोक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(s).(Criminal) संख्या–99/2015 **में दि0 05.04.2018 एवं दि0 13.02.18** को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य के 20 जिलों के कुल 24 (चौबीस) अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु कुल रु0 52,43,32,000/- व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 25,43,32,000/–(पचीस करोड़ तैंतालीस

लाख बत्तीस हजार) व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही, इस वित्तीय वर्ष में अवशेष राशि 27,00,00,000/– अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त होने पर व्यय की जायेगी। उक्त अवशेष राशि अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय की जायेगी।

8. उपर्युक्त राशि का विकलन निम्न रूप से होगा :–

i. रुपये 13,00,00,000/– का विकलन मुख्यशीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा अन्तर्गत लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–21–ई–गवर्नेंस सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–81–सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ, विपत्र कोड–45S2203007962100O781 में उपबंधित राशि से किया जायेगा तथा

ii. शेष राशि 12,43,32,000/– का विकलन मुख्यशीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा अन्तर्गत लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–21–ई–गवर्नेंस सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–81–सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ, विपत्र कोड–45S2203000121000781 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

9. परियोजना का क्रियान्वयन जैप–आई0टी0 द्वारा किया जाएगा तथा आंकलन के अनुरूप राशि का व्यय किया जाएगा।

10. राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, रांची से की जायेगी तथा राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग होंगे। राशि की निकासी कर जैप–आई0टी0 के पी0एल0 खाता में जमा कर दी जाएगी। साथ ही जैप–आई0टी0 राशि के व्यय करने के पूर्व प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

11. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 में दिए गए दिशा–निर्देश तथा अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

12. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार, झारखण्ड का होगा।

13. राशि का अपवर्तन दूसरे मद में कदापि नहीं किया जाय तथा राशि का व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप एवं प्रक्रियात्मक हो अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार होंगे।

14. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप–आई0टी0 स्वीकृत राशि का ब्यौरा/उपयोगिता प्रमाण पत्र सीधे महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

15. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दि0 21.10.2021 में मद सं0–10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : रांची, दिनांक :

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 1434 रांची, दिनांक : 28.10.2021

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, अंकेक्षण/वित्त विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप–आई0टी0, रांची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट शाखा/विपत्र शाखा (मूल दो प्रतियों में)/श्री देशबंधु मिश्रा, परामर्शी, SeMT को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
28.10.21

CCTV Sanlekh/SL

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1181

पत्रांक संख्या :- 1434

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 28/10/2021

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

KRIPA NAND JHA
SECRETARY
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY & EGOVERNANCEPR

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *वित्त विभाग

विषय : INSTALLATION OF CCTV IN 20 DISTRICTS (24 COURTS) OF STATE

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 45 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग के, राज्य स्कीम के
मुख्यशीर्ष - 2203-तकनीकी शिक्षा
उपमुख्य शीर्ष - 00-तकनीकी शिक्षा
राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	☐13,00,00,000.00
001-निदेशन और प्रशासन	☐12,43,32,000.00
कुलराशि :-	**☐25,43,32,000.00**

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
45S220300796210781	21 - ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण	81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	
45S220300001210781	21 - ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का कंप्यूटरीकरण	81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी SUNIL KUMAR PODDAR (PRJSCT001), UNDER SECRETARY होंगे तथा राशि □25,43,32,000.00/- की निकासी Project Bld कोषागार से की जाएगी।

3.) अभियुक्ति/शर्तें/व्यौरा :-

YES

4.) प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

5.) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

6.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

28.10.21

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से